

# ਮज़दूर एकता लहर



हिन्दूस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अखबार



गंथ-35, अंक - 07

अप्रैल 1-15, 2021

पाक्षिक अखबार

कुल पृष्ठ-8

भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत की 90वीं सालगिरह पर :

## शहीदों की पुकार

हिन्दूस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय समिति का बयान, 20 मार्च, 2021

इस वर्ष के 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत की 90वीं सालगिरह है। अंग्रेज हुक्मरानों ने 1931 में, इस दिन पर, उन तीन नौजवानों को फांसी की सज़ा दी थी, क्योंकि उन्होंने बस्तीवादी व्यवस्था का पूरी तरह तख्तापलट करने के लिए अडिग संघर्ष किया था। उन्हें 'खतरनाक आतंकवादी' करार दिया गया था और उन्हें मौत की सज़ा दी गयी थी।

अंग्रेज हुक्मरानों ने सैकड़ों-सैकड़ों देशभक्त और क्रान्तिकारी हिन्दूस्तानियों को जेलों में बंद कर दिया था या फांसी पर चढ़ा दिया था। इनमें शामिल थे 1857 के वीर, हिंदुस्तान ग़दर पार्टी के सदस्य और अनगिनत ऐसे लोग, जिन्होंने हिन्दूस्तानी लोगों को हर प्रकार के शोषण और दमन से मुक्त कराने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था।

आज लाखों-लाखों मज़दूर, किसान, महिला और नौजवान सङ्कों पर उत्तरकर विरोध कर रहे हैं। वे सब अपनी रोज़ी-रोटी और अधिकारों पर हमलों का विरोध



**"हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कुछ मुट्ठीभट्टा  
लोग, देही या विदेही या दोनों का गठबंधन, हमारी जनता  
के श्रम और संसाधनों का घोषण करते रहेंगे।  
हमें इस दासों से कोई नहीं हल लकता!"**

कर रहे हैं। वे जातिवादी भेदभाव और महिलाओं पर अत्याचार का विरोध कर रहे हैं। वे धर्म के आधार पर भेदभाव और देश के अन्दर बसे विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोगों के उत्पीड़न का विरोध कर रहे हैं। वे सब उस शोषण-मुक्त हिन्दूस्तान

से बर्ताव करता है, जैसा कि अंग्रेजों का राज करता था। जो भी अपने अधिकारों की मांग करते हैं, जो भी नाइंसाफी के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाते हैं, उन्हें राष्ट्र-विरोधी करार दिया जाता है। उन पर राज-द्रोह का आरोप लगाया जाता है, उन्हें जेलों में बंद कर दिया जाता है और उन्हें जमानत देने से इंकार किया जाता है।

गणतंत्र दिवस पर जो घटनाएं हुईं, उनका बहाना बनाकर, किसान आंदोलन के भागीदारों पर भयानक दमन किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ़तार किया जाना, उन पर झूठे मामले दर्ज किये जाने, दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती, कांटेदार तार के बाड़े लगाये जाने और इंटरनेट कनेक्शन काट दिया जाना — इस प्रकार के बहुत सारे दमनकारी कदम उठाये गए हैं। लोगों को गिरफ़तार करने में पुलिस की मदद करने वालों के लिए लाखों-लाखों रुपयों के इनाम घोषित किये जा रहे हैं। इस

शेष पृष्ठ 2 पर

## पाठकों को सूचना

प्रिय पाठकों,

हमें यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी है कि इस अंक (अप्रैल 1-15, 2021) के साथ, हम मज़दूर एकता लहर (पाक्षिक) का हिंदी भाषा में प्रकाशन फिर से शुरू कर रहे हैं।

जैसा कि आप जानते हैं, 23 मार्च, 2020 को केंद्र सरकार द्वारा हाल लॉक डाउन लागू किये जाने के बाद, हमें हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में मज़दूर एकता लहर (पाक्षिक) और पंजाबी भाषा में मज़दूर एकता लहर (पासिक) का प्रकाशन रोकना पड़ा था। इसके लिए हमें खेद है। सभी पाठकों का बकाया चंदा आगामी अंकों के लिये नियमित किया जायेगा। जिनका चंदा समाप्त हो गया है, उनसे हम आग्रह करते हैं कि कृपया फिर से अपने चंदे का भुगतान करें।

हमारी वेबसाइट [www.cgpi.org](http://www.cgpi.org) पर प्रकाशित, पार्टी की केन्द्रीय समिति द्वारा हाल के दिनों में जारी किये गए बयानों और आह्वानों तथा कुछ अन्य लेखों के लिंक हम यहां पेश कर रहे हैं।

दोस्ताना अभिवादन,  
लाल सिंह, महासचिव  
केन्द्रीय समिति  
हिन्दूस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी

## पार्टी की केन्द्रीय समिति द्वारा हाल के दिनों में जारी किये गए बयान व आह्वान

- देश के नव-निर्माण के संघर्ष में महिलाएं आगे-आगे! <http://hindi.cgpi.org/20571>
- किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिये फैलाई जा रही अराजकता और हिंसा की निंदा करें! <http://hindi.cgpi.org/20448>
- हिन्दूस्तानी गणराज्य की 71वीं वर्षगांठ के अवसर पर : चलो हम मज़दूरों और किसानों का गणराज्य स्थापित करने के लिए संगठित हों! <http://hindi.cgpi.org/20429>
- यह धर्म—युद्ध है मज़दूरों और किसानों का, अधर्मी राज्य के खिलाफ़! <http://hindi.cgpi.org/20382>
- सरकार इजारेदार पूंजीपतियों की लालच को पूरा करने पर वचनबद्ध है! यह मज़दूरों और किसानों का धर्म—युद्ध है! इन अधर्मियों की हुक्मत को खत्म करने का संघर्ष आगे बढ़ायें! <http://hindi.cgpi.org/20298>
- तीनों किसान-विरोधी कानूनों को रद्द करो! पूंजीपति घरानों की तिजोरियां भरना बंद करो! सभी के लिए सुरक्षित रोज़गार और खुशहाली सुनिश्चित करो! <http://hindi.cgpi.org/20181>

## हाल के दिनों में प्रकाशित किये गए कुछ अन्य लेख

- फोकस : रेल मज़दूरों के कार्य की परिस्थिति <http://hindi.cgpi.org/20416>
- फोकस : दवा उद्योग <http://hindi.cgpi.org/19993>
- फोकस : संयुक्त राष्ट्र संघ की 75वीं वर्षगांठ <http://hindi.cgpi.org/20042>
- फोकस : द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 75वीं वर्षगांठ पर – दुनिया में युद्ध और टकराव का स्रोत साम्राज्यवाद था और आज भी है <http://hindi.cgpi.org/19784>
- फोकस : बैंकिंग क्षेत्र का निजीकरण <http://hindi.cgpi.org/19017>
- फोकस : कोयला क्षेत्र का निजीकरण <http://hindi.cgpi.org/19316>

## शहीदों की पुकार

### पृष्ठ 1 का शेष

राजकीय आतंकवाद के साथ-साथ, टीवी और सोशल मीडिया पर दिन-रात झूठा प्रचार किया जा रहा है कि ट्रेक्टर रैली में भाग लेने वाले लोग अपराधी और आतंकवादी हैं।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट गढ़र पार्टी यह मानती है कि किसान आन्दोलन के भागीदारों को गिरफ्तार करना पूरी तरह नाजायज़ है। 26 जनवरी के दिन जो भी घटनाएं हुईं, उनके लिए केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। आंखों-देखा हाल और दूसरे तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन घटनाओं के लिए केंद्र सरकार ही ज़िम्मेदार थी, न कि प्रदर्शनकारी किसान।

किसान आन्दोलन की मांगें – कि पूंजीवाद-परस्त कानूनों को रद्द किया जाये और सभी फसलों के लिए लाभकारी दामों पर सरकारी ख़रीदी सुनिश्चित की जाये – ये पूरी तरह जायज़ हैं। केंद्र सरकार किसानों की सुरक्षित रोज़ी-रोटी के अधिकार को छीन रही है। केंद्र सरकार किसानों की जायज़ आर्थिक और राजनीतिक मांगों के लिए संघर्ष को “कानून-व्यवस्था की समस्या” बता रही है।

इस हालत में किसानों और मज़दूरों के सारे संगठनों को मिलकर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। हमें यह मांग करनी चाहिए कि किसान आन्दोलन के जिन सारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें फौरन रिहा कर दिया जाये। देशभर में किसान आन्दोलन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किये गए सभी मामलों और उनकी गिरफ्तारी के लिए जारी किये गए सारे वारंटों को वापस लिया जाये। हमें यह मांग करनी होगी कि केंद्र सरकार तीनों किसान-विरोधी कानूनों को रद्द करे और सभी फसलों के लिए लाभकारी दामों पर सरकारी ख़रीदी सुनिश्चित करे।

### साथियों और दोस्तों,

शहीद भगत सिंह और उनके साथियों की शहादत को याद करना तभी सार्थक होगा अगर हम उनके दिखाए गए रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। उनका रास्ता था हिन्दोस्तान की भूमि और श्रम की लूट और शोषण का डटकर विरोध करना। उनके संघर्ष का मक़सद था बस्तीवादी राज को जड़ से उखाड़ फेंकना और एक नए राज्य की स्थापना करना, एक ऐसे हिन्दोस्तान की स्थापना करना जिसमें इंसान द्वारा इसान का शोषण नहीं होगा और राष्ट्रों व लोगों का दमन नहीं होगा।

हमें अपने क्रान्तिकारी शहीदों के इन शब्दों को याद रखना होगा :

“हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कुछ मुट्ठीभर लोग, देशी या विदेशी या दोनों का गठबंधन, हमारी जनता के श्रम और संसाधनों का शोषण करते रहेंगे। हमें इस रास्ते से कोई नहीं हटा सकता।”

हिन्दोस्तान को 1947 में राजनीतिक आजादी मिली, परन्तु वर्ग-शोषण, दमन

और जातिवादी भेदभाव से मुक्ति के रास्ते को बंद कर दिया गया है। बीते 73 से अधिक सालों से इजारेदार कॉर्पोरेट घरानों की अगुवाई में पूंजीपति वर्ग, अपने भरोसेमंद राजनीतिक पार्टियों के सहारे, हमारे ऊपर राज करता आ रहा है।

हिन्दोस्तानी पूंजीपतियों ने आजाद हिन्दोस्तान के श्रम और संसाधनों का शोषण जारी रखने के लिए विदेशी पूंजीपतियों के साथ गठबंधन बना रखा है। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गयी शोषण-लूट की व्यवस्था को जारी रखा है और उसे विकसित किया है। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गयी राजनीतिक व्यवस्था को कायम रखा है, जिसका उद्देश्य है

करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी “सिख उग्रवाद” के खिलाफ लड़ने के नाम पर राजकीय आतंकवाद और सांप्रदायिक कल्त्त्वाम आयोजित करने के अपने काले कारनामों को लोगों के मन से मिटा देना चाहती है।

हमारी समस्याओं की जड़ लोगों के अलग-अलग विचारों या आस्थाओं में नहीं है। हमारी समस्याओं की जड़ मुट्ठीभर शोषकों की हुकूमत है, जो हमारे आपसी भेदभावों का इस्तेमाल करके, सांप्रदायिक झगड़े भड़काती है और इस तरह अपनी हुकूमत को बरकरार रखती है। हमारा संघर्ष न तो हिन्दुओं और मफसलामानों के बीच में है और न ही

है और न ही अर्थव्यवस्था की दिशा। इजारेदार पूंजीवादी घरानों की अगुवाई में पूंजीपति वर्ग द्वारा तय किया हुआ कार्यक्रम ही लागू होता है।

शहीद भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेज हुक्मरानों द्वारा स्थापित राजनीतिक व्यवस्था को तुकरा दिया था। उन्होंने यह समझ लिया था कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित संस्थानों और कानूनों के ज़रिये हिन्दोस्तानी समाज का उद्धार नहीं हो सकता है। उन्होंने क्रान्तिकारी परिवर्तन की ज़रूरत को समझ लिया था और उसी आधार पर उन्होंने अपना संघर्ष किया था। उनके संघर्ष का लक्ष्य था एक ऐसे नए राज्य और व्यवस्था की स्थापना करना जिसमें सबको सुख और सुरक्षा सुनिश्चित हो।

वर्तमान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था पर भरोसा करने वाले और इसी व्यवस्था के अन्दर सारी समस्याओं के समाधान के बारे में भ्रम फैलाने वाले लोग हमारे क्रान्तिकारी शहीदों के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। यह हो सकता है कि हर साल 23 मार्च पर वे शहीद भगत सिंह और उनके साथियों का गुणगान करते हों, उनकी तर्सीरों पर फूल मालाएं चढ़ाते हों। परन्तु पूंजीवादी लोकतंत्र की व्यवस्था के सामने घुटने टेक कर, वे इन शहीदों की याद का घोर अपमान कर रहे हैं।

असली समाधान है पूंजीपति वर्ग की हुकूमत को ख़त्म करना और उसकी जगह पर मज़दूर-किसान का राज स्थापित करना। वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के साथ पूरी तरह से नाता तोड़ना होगा। हमें एक ऐसे नए राज्य और व्यवस्था की नींव डालनी होगी, जिसमें हम – मज़दूर, किसान, महिलाएं और नौजवान – कानून बनायेंगे और सरकारी नीतियों के बारे में फैसले लेंगे। हमें एक ऐसे नए हिन्दोस्तानी संघ की ज़रूरत है जिसमें हरेक घटक राष्ट्र के राष्ट्रीय अधिकारों को मान्यता दी जायेगी और समाज के सभी सदस्यों के मानव अधिकारों व जनवादी अधिकारों का आदर किया जायेगा। हमें सबको सुख और सुरक्षा सुनिश्चित करने की नयी दिशा में अर्थव्यवस्था को चलाना होगा, न कि इजारेदार पूंजीपतियों के मुनाफ़ों को बढ़ाने की वर्तमान दिशा में।

शहीदी दिवस 2021 के अवसर पर, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट गढ़र पार्टी अपने अधिकारों की हिफाजत में बहादुरी से संघर्ष कर रहे मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों को सलाम करती हैं। आइये, अपने देश में पूंजीपतियों की हुकूमत को ख़त्म करने के अपूर्ण कार्य को पूरा करें।

आइये, उस नए हिन्दोस्तान का निर्माण करें, जिसके लिए हमारे शहीदों ने संघर्ष किया था और अपनी जानों की कुरबानी दी थी।

हम हैं इसके मालिक, हम हैं हिन्दोस्तान, मज़दूर, किसान, औरत और जवान!

इंकलाब ज़िन्दाबाद!

<http://hindi.cgpi.org/20618>

### पाठक वार्षिक ग्राहकी शुल्क सीधे हमारे बैंक खाते में भेजें

मज़दूर एकता लहर के पाठक अपना वार्षिक ग्राहकी शुल्क सीधे हमारे बैंक खाते में जमा करके हमें इसकी सूचना नीचे दिये फोन, ईमेल या वाट्सएप पर अवश्य दें।

प्रति : लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र,

नई दिल्ली कालका जी, खाता संख्या :– 20066800626

ब्रांच कोड :– 00974 न्यू दिल्ली कालका जी

आई.एफ.एस. कोड (IFSC Code) :– MAHB0000974

फोन : 9810187911, 9868811998 (वाट्सएप)

email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com

1. समाचार पत्र का नाम—मज़दूर एकता लहर

2. समाचार पत्र की पंजीकरण संख्या—45893/86

3. भाषा /भाषाएं, जिसमें/समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है—हिन्दी

4. इसके प्रकाशक का नियन्त्रक तथा जिस दिन/दिनों/तिथियों को यह प्रकाशित होता है – हर महीने की 1 व तीर्थी

5. समाचार पत्र की फुटकर कीमत – 5.00 रुपये

6. प्रकाशक/मुद्रक का नाम – लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स की तरफ से मध्यसूदन कस्तूरी, राष्ट्रीयता – भारतीय

पता—ई-392, संजय कालोनी, ओखला फेज-2, नई दिल्ली 110020

7. संपादक का नाम – मध्यसूदन कस्तूरी

राष्ट्रीयता – भारतीय

पता—ई-392, संजय कालोनी, ओखला फेज-2, नई दिल्ली 110020

8. जिस स्थान पर मुद्रण का काम होता है तथा लीक विवरण – शुभम इंटरप्रेजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065

9. प्रकाशन का स्थान – ई-392, संजय कालोनी, ओखला फेज-2, नई दिल्ली 110020

प्रदर्शनों के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने कानून बनाये :

## जन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए कानून

**प्र**दर्शनों के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा विधानसभा ने 18 मार्च, 2021 को एक विधेयक पारित किया। विपक्षी पार्टियों के सदस्यों द्वारा इन पर सवाल उठाये जाने के बावजूद यह विधेयक पारित हो गया।

सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी के दौरान संपत्ति के नुकसान की भरपाई वसूली विधेयक-2021 राज्य प्रशासन को अधिकार देता है कि वह "दंगों और हिंसक घटनाओं सहित, प्रदर्शनों के दौरान, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करने" की मांग कर सकता है।

इस विधेयक में दावा अधिकरण (कलेम ट्रिब्यूनल) के गठन का प्रावधान किया गया है, जो नुकसान का अनुमान लगाएगा और नुकसान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करेगा, जिन पर जुर्माना लगाया जायेगा। इस विधेयक के अनुसार, दावा अधिकरण के तहत की गयी कार्यवाही को न्यायिक कार्यवाही माना जायेगा। इस दावा अधिकरण को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उसकी गैर-मौजूदगी में सज्जा सुना सकता है, यदि वह सूचित किए जाने के बावजूद हाजिर नहीं होता है।

यह विधेयक किसी कलेक्टर को किसी भी व्यक्ति की संपत्ति या बैंक खाते को संलग्न करने का अधिकार देता है, जिसके खिलाफ दावा अधिकरण ने आदेश सुनाया है। इसके अलावा, किसी भी अदालत को इस कानून के तहत तय किये गए हर्जाने की रकम के खिलाफ सवाल उठाने या आदेश पारित करने का अधिकार नहीं होगा।

यह विधेयक ऐसे समय पर पारित किया गया है, जब पंजाब व अन्य राज्यों के किसानों के साथ हरियाणा के लाखों किसान पिछले 3 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन पर रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि

केंद्र सरकार किसान-विरोधी कानूनों को रद्द करे और उनकी सभी फसलों के लिए लाभकारी मूल्य पर ख़रीदी की गारंटी दे। केंद्र सरकार के साथ सांठगांठ में हरियाणा सरकार ने किसानों के विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन के स्थानों पर सड़कों में गहरे गड्ढे खोद दिए हैं, नुकीली कीलें गाड़ दी हैं और कंटीले तार लगा दिये हैं। इन सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए किसान अपने संघर्ष में डटे हुए हैं।

इस विधेयक को पारित करते हुए अपने संबोधन में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खुद अपनी ही जुबान से इसके असली मक्सद का भी पर्दाफाश कर दिया। विधेयक को सही बताते हुए उन्होंने कहा कि इसका मक्सद उन लोगों के दिलों में "ख़ौफ पैदा" करना है जो राज्य के जन-विरोधी कदमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

इसी तरह से संसदीय विरोधियों को नजरंदाज करते हुए 2 मार्च, 2021 को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने भी ऐसा ही एक विधेयक पारित किया जिसके तहत सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली प्रदर्शनकारियों से की जाएगी।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति नुकसान वसूली विधेयक-2021 के अनुसार, जो भी प्रदर्शनकारी सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान करते हुए पाया जायेगा, उसे 1 साल की सज्जा काटनी होगी या 5000 से 1 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश गुंडा (संशोधन) विधेयक-2021 भी पारित किया है। यह विधेयक पुलिस के संयुक्त और डिप्टी कमिश्नर को अधिकार देता है कि वह किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन को "आपराधिक कार्यवाही" घोषित कर सकता है।

मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीमंडल ने "राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करवाने" के नाम पर, "उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान की वसूली अध्यादेश-2020" को मंजूरी दी थी। यह उस समय किया गया जब सरकार द्वारा लोगों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव करने और सांप्रदायिक हिंसा और नफरत फैलाने के खिलाफ लाखों महिलाएं और नौजवान सी.ए.ए.-विरोधी प्रदर्शनों में सड़कों पर उत्तर आये थे। दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर सहित देशभर में कई शहरों में हजारों महिलाएं और नौजवान शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे थे। अब उसी अध्यादेश को कानून बनाया गया है।

उस अध्यादेश से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों पर बर्बर हमले किये। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को बदनाम करने के लिए राज्य प्रशासन ने लोगों को उकसाने की कोशिश की और अराजकता और हिंसा आयोजित की। नौजवानों और छात्रों को धमकियां दी गयीं और लोगों को बदनाम करने की कोशिश में उनके नाम और फोटो को सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किया गया।

ये दोनों ही विधेयक हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक प्रक्रिया के संपूर्ण गैर-जनतात्रिक और जन-विरोधी चरित्र का पर्दाफाश करते हैं जो केवल सबसे बड़े इजारेदार पूंजीपतियों के हितों की सेवा करते हैं सरकार को इन इजारेदार पूंजीवादी घरानों के राज के खिलाफ उठती हर एक आवाज़ को कुचलने का काम दिया गया है। यू.ए.पी.ए. के अलावा हमारे देश में ऐसे कई कानून हैं जो "सार्वजनिक सुरक्षा", इत्यादि के नाम पर जन-प्रदर्शनों को आपराधिक कार्यवाही

करार देते हैं और इन्हें आयोजित करने वालों को सज्जा देते हैं। ये विधेयक राज्य प्रशासन के हाथों में सबसे नए हथियार हैं, जिनसे न्याय और अपने अधिकारों की हिफाज़त में खड़े होने वाले मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों को आतंकित किया जायेगा।

यह सर्व-विदित है कि राज्य और उसकी एजेंसियां खुद ही लोगों के बीच भड़काऊ कार्यवाही, अराजकता और हिंसा आयोजित करते हैं, ताकि लोगों के संघर्षों को बदनाम किया जा सके और उनके खिलाफ किये जा रहे दमन को जायज़ ठहराया जा सके। लोगों के तमाम तरह के विरोध प्रदर्शनों को वे अक्सर "राजद्रोही", "राष्ट्र-विरोधी" और "देश की एकता और अखंडता को खतरा", करार देते हैं ताकि उन्हें वहशी दमन के जरिये कुचले जाने को जायज़ ठहराया जा सके।

ये विधेयक क्रूर बर्तानवी बस्तीवादी तरीकों की याद दिलाते हैं, जहां "संपत्ति का नुकसान" के नाम पर पूरे गांव और समुदाय पर सामुदायिक जुर्माना लगाया जाता था, जब लोग बस्तीवादी दुक्मरानों की नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत करते थे। यह एक बार फिर दिखाता है कि बर्तानवी बस्तीवादी राज्य की ही तरह, मौजूदा हिन्दूस्तानी राज्य भी अपने ही देश के लोगों के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव करता है। यह हिन्दूस्तानी राज्य सबसे बड़े इजारेदार पूंजीवादी घरानों के राज की हिफाज़त करने के लिए हर प्रकार के विरोध प्रदर्शन और असहमति को आपराधिक कार्यवाही करार देता है और मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों को बर्बरता से कुचलता है, जो अपने अधिकारों की हिफाज़त में एकजुट हो रहे हैं और सड़कों पर उत्तर रहे हैं।

<http://hindi.cgpi.org/20634>

बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक-2021 :

## पुलिस की बढ़ती ताक़त

**23** मार्च, 2021 को बिहार विधानसभा विधेयक-2021' पारित किया। यह विधेयक विना किसी वारंट के छापे मारने और गिरफ्तारी करने की पुलिस को बेलगाम छूट देता है। इस विधेयक को विधानसभा में पारित करने के दौरान विपक्ष की पार्टियों के नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया है।

एक नए बहु-क्षेत्रीय विशेष सशस्त्र पुलिस बल की स्थापना को जायज़ ठहराते हुए, इस विधेयक की प्रस्तावना में कहा गया है कि "बिहार... राज्य के हित के लिए एक बहु-क्षेत्रीय विशेष सशस्त्र पुलिस बल की आवश्यकता है जो औद्योगिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, मेट्रो रेल आदि की ज़रूरतों को पूरा कर सके"। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि "ऐसे सशस्त्र पुलिस यूनिटों की तैनाती से राज्य को पूंजी निवेश को आकर्षित करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व और पर्यटन आदि के स्थानों की रक्षा और सुरक्षा करने में मदद होगी"।

यह विधेयक किसी भी विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी को "अपने कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डालने" या "किसी जगह या इंसान को चोट पहुंचाने की कोशिश" का आरोप लगाकर किसी भी व्यक्ति को, मजिस्ट्रेट के आर्डर के बगैर या किसी भी वारंट के बगैर, गिरफ्तार करने की पूरी ताक़त देता है। विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी के पास किसी भी व्यक्ति को इस संदेह पर गिरफ्तार करने का अधिकार है कि, "संभावना" है कि वह व्यक्ति, किसी व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ अपराध करेगा / करेगी। विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी के पास बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने, उसकी ओर उसके आस-पास की जगहों (घर, ऑफिस, आदि) की तलाशी लेने की पूरी ताक़त होगी। विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी किसी भी प्रकार के न्यायालय या कानूनी कार्यवाही से सुरक्षित होंगे, जब तक कि सरकार द्वारा उन्मोदित नहीं किया जाता है।

यह साफ नज़र आता है कि इस विधेयक का चरित्र पूरी तरह से जन-विरोधी और बेहद क्रूर है। किसी भी राज्य या

निजी मालिकी के कारखाने या प्रतिष्ठान में आंदोलन या विरोध प्रदर्शन कर रहे मज़दूरों को प्रबंधन के खिलाफ "बल के प्रयोग की धमकी" के नाम पर गिरफ्तार किया जाएगा। विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाली महिलाओं तथा युवकों को जेल में बंद कर दिया जाएगा, खासकर तब, जब राज्य आंदोल

# महिला किसानों के बीच मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

8 मार्च, 2021 को दिल्ली की सीमाओं नए कानूनों के खिलाफ़, चल रहे किसान आंदोलन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। किसानों के संघर्ष को अगुवाई दे रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका आवाहन किया था।

दिल्ली की सीमा से सटे रोहतक रोड स्थित बहादुरगढ़ के पकोड़ा चौक पर, भारतीय किसान यूनियन एकता (उग्राहा) ने इस अवसर पर महिला सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 1 लाख से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया।

इस ऐतिहासिक सम्मेलन में पंजाब और हरियाणा के विभिन्न जिलों सहित, गांव—गांव से महिलाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सम्मेलन के खत्म होने तक स्थानीय महिलाओं का आना जारी रहा। वे 'मज़दूर—किसान एकता ज़िन्दाबाद!', 'जय जवान, जय किसान!', 'महिला आंदोलन ज़िन्दाबाद!', 'किसान आंदोलन ज़िन्दाबाद!' के नारे लगाते हुए सम्मेलन में शामिल हुईं। इसके अलावा, देशभर से छात्राएं, अध्यापिकाएं, महिला अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली कार्यकर्ताएं, सभी अपने जर्त्ये में शामिल हुईं।

सम्मेलन के आरंभ में किसान संघर्ष में शहीद महिलाओं को श्रद्धांजलि देते हुये, उनकी याद में दो मिनट का मौन रखा गया।

इस अवसर पर महिला किसान नेता हरप्रीत कौर जेटुके और परमजीत



कौर कोटरा ने किसान मज़दूर महिलाओं द्वारा पिछले संघर्षों के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण योगदान पर बात रखी। उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ़ चल रहे संघर्ष की जीत तक खड़े रहने की घोषणा की।

महिला अधिकारों और लोकतांत्रिक अधिकारों के कार्यकर्ता और पंजाबी नाटककार स्वर्गीय गुरशरण सिंह की पुत्री नवशरण कौर ने सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा कि महिलाओं को एकजुट संघर्ष करने की जरूरत है।

पूर्व छात्र नेता शिरी ने अपने संबोधन में कहा कि पूंजीवादी जगत और साम्राज्यवादी कंपनियां महिलाओं को एक भोग की वस्तु के रूप में देखते हैं। महिलाओं के अधिकारों के लिए हो रहे संघर्ष और पूंजीपतियों

द्वारा शोषण और लूट के खिलाफ़ किये जा रहे संघर्ष अलग नहीं हैं। महिला अधिकार आंदोलन जन—अधिकार आंदोलन का ही हिस्सा है।

पंजाब खेत मज़दूर यूनियन की ओर से कृष्ण देवी ने खेत मज़दूरों सहित दलित महिलाओं की स्थिति पर सम्मेलन का ध्यान रखी।

दिल्ली के महिला संगठनों की प्रतिनिधि बतौर शबनम हाशमी ने सम्मेलन को संबोधित किया और किसान संघर्ष के साथ अपनी एकता प्रकट की।

प्रसिद्ध नृत्यांगना एवं नाटक निर्देशिका माया राव ने एकल नृत्य—नाटिका पेश की। यह नृत्य—नाटिका नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ़ आंदोलन में तथा

किसान आंदोलन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका को दिखाती है। इसके साथ—साथ, इसमें खेत, फैक्ट्री और समाज में महिलाओं के योगदान को भी प्रदर्शित किया गया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए बी.के. यू. एकता (उग्राहा) की महिला शाखा की प्रधान हरिंदर कौर बिंदु ने कहा कि चल रहे किसान संघर्ष के दौरान महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। महिलाएं पहले से ही कृषि संकट की मार सबसे अधिक झेल रही हैं। महिलाएं सदैव दोहरे शोषण का सामना करती आयी हैं। सबसे अधिक कष्ट सहने वाली ये महिलाएं आज किसान आंदोलन की पहचान बनी हुई हैं। महिलाओं का योगदान हमारे आंदोलन का सबसे मजबूत पहलू है। उन्होंने कहा कि पंजाब में पिछले दशक के जन संघर्ष के दौरान खेत मज़दूर और किसान महिलाओं ने महिला अधिकार आंदोलन की मजबूत नींव बनाई है।

पुरोगामी महिला संगठन से पूनम शर्मा ने अपना संबोधन 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ज़िन्दाबाद!', 'हमारी एकता ज़िन्दाबाद!' 'इंकलाब ज़िन्दाबाद!' के नारे के साथ शुरू किया।

उन्होंने कहा कि, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के आज के दिन को इतिहास में दर्ज किया जायेगा। हम आज के दिन को किसान आंदोलन में मना रहे हैं, जब संसद

शेष पृष्ठ 5 पर

## मार्च 7 को मुंबई में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया

हिन्दूस्तान के इतिहास में इस साल का अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत विशेष है। पिछले पूरे साल और उसके पहले से ही हिन्दूस्तानी महिलाएं अपने हक्कों के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से सड़कों पर उतरी हैं। सरकार की किसान—विरोधी, मज़दूर—विरोधी तथा इजारेदारों के फायदे में बनायी गयी नीतियों का महिलाएं बहादुरी से विरोध कर रही हैं। हजारों महिलाओं ने अपने किसान भाइयों के साथ बहुत जुर्त से दिल्ली की सीमाओं पर कड़ाके की ठंड का सामना किया है और अब तेज़ गर्मी का सामना करने की तैयारी कर रही हैं।

2020 में हम ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस ऐसे समय मनाया था जब हिन्दूस्तानी महिला — पुरुष, देश भर में आयोजित किये गए हजारों प्रदर्शनों तथा धरनों के द्वारा पूरी तरह से अन्यायपूर्ण तथा साम्राज्यिक सी.ए.ए.—एन.आर.सी. को स्वीकार करने से इन्कार कर रहे थे। साम्राज्यिकता तथा फूट डालों और राज करो का धिक्कार करने में और खास तौर पर इस्लाम—फोबिया या इस्लाम द्वेष के खिलाफ़ करोड़ों आवाजें एक सुर में बुलंद हो रही थीं।

यह सब और इस से भी अधिक बहुत कुछ, रविवार, 7 मार्च को इंटरनेट पर आयोजित एक सभा में प्रस्तुत किया गया था। सभा की सह—आयोजन भारतीय महिला फेडरेशन की ठाणे समिति, ठाणे प्रदेश के जमात—ए—इस्लामी हिंद, लोक राज संगठन की महाराष्ट्र कौंसिल, म्यूज फाउंडेशन तथा ठाणे मतदाता जागरण अभियान ने किया था।

लोक राज संगठन के बदलापुर समिति के साथियों ने "आओ बहनों, कदम उठाओ, महिला मुक्ति है मंजिल!" गाने से सभा का उद्घाटन किया। लोक राज संगठन की उपाध्यक्षा, डॉ. संजीवनी जैन

ने सभा का संचालन किया। ठाणे प्रदेश के जमात—ए—इस्लामी हिंद की सुश्री असीफा शिराज़ी तथा ठाणे मतदाता जागरण अभियान की डॉ. चेतना दीक्षित ने सभा को संबोधित किया।

ठाणे, कल्याण—डोम्बिवली तथा लोक राज संगठन, पुणे एवं म्यूज फाउंडेशन, ठाणे के युवतियों ने तथा युवकों ने मिल कर एक बहुत ही रोचक प्रस्तुति पेश की जिसमें विविध विषयों पर उन्होंने प्रकाश डाला। पहले भाग में अमरीका तथा यूरोप के मज़दूरों के समाजवाद के लिए संघर्ष के एक हिस्से बतौर अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास, सोवियत संघ के मज़दूरों—किसानों के राज्य ने कौन—कौन से कदम उठाये थे ताकि समाज के समान सदस्य बतौर, सामाजिक कार्यों में सीधा योगदान देकर महिलाएं एक समृद्ध ज़िंदगी बिता सकें, वैदिक समय से लेकर आज़ादी के संग्राम में और उसके बाद भी हिन्दूस्तान में महिलाओं ने कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, इन सब पर बात रखी गयी। दूसरा भाग था महिलाओं के बारे में तथा अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में जान—बूझकर जो मिथक तथा भ्रम फैलाये जाते हैं उनका पर्दाफाश। प्रस्तुति का अगला भाग था महिलाओं पर होनेवाली हिंसा के विषय में। यह दर्शाया गया कि कैसे आज की प्रणालि में सेना—पुलिस तथा न्यायाधीशों की जवाबदेही गुनहगार राजनैतिक पार्टियों के नेताओं के प्रति होती है, न कि लोगों के प्रति। इसके विपरीत, जब लोगों का शासन—नियोजन चलता है, जैसे कि आज दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है, तब महिलाओं की सुरक्षा तथा इज़्जत को सुनिश्चित किया जाता है।

प्रस्तुतियों के विविध भागों के बीच पुरोगामी तथा क्रांतिकारी कविताएं तथा नगमे पेश किये गये। करीबन सत्तर साल की उम्र की भारतीय महिला फेडरेशन की एक कार्यकर्ता, वंदना ताई शिंदे ने एक गाना "ऐसा खत में लिखो!" पेश किया, जिस में एक अनपढ़ महिला दूरदेश में काम कर रहे अपने पति को चिट्ठी भेजती है, इस सवाल के साथ कि उसे भी क्यों नहीं अपने बच्चे के लिये एक बेहतर दुनिया बनाने के संघर्ष में हिस्सा लेना चाहिये। इस गाने ने लोगों की नज़र पकड़ ली और उन्होंने जिस अंदाज़ से गाना पेश किया, उसने सब का दिल जीत लिया। भारतीय महिला फेडरेशन की ठाणे समिति की नेता और पूरी ज़िंदगी मज़दूरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली कॉ. गीता महाजन ने एक बहुत बढ़िया गाना पेश किया। सभा संचालक ने सब के दिल की बात कही, जब उन्होंने कॉ. को कहा कि उन्हें इस गाने का हिंदी में अनुवाद करना चाहिए जिससे कि वह इसे सभी हिन्दूस्तानी लोगों तक पहुंचा पाएंगी।

आवाजों के बारे में अगला भाग था। उसके बाद हिन्दूस्तानी महिलाओं ने जिन विविध संघर्षों में भाग लिया था, उनकी ज़ाकियां दिखायी गयीं। एक प्रस्तुति में आज चल रहे किसान आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का विवरण था। अंतिम प्रस्तुति में समझाया गया कि कैसे अपने हाथों में अनगिनत संसाधन होने के बावजूद सरकार तथा अधिकारियों ने लोगों की सुरक्षा तथा सुखवैन विल्कुल सुनिश्चित नहीं किया है, जबकि अपने हाथों में मर्यादित संसाधन होने के बावजूद विविध संघर्षों में तथा खास करके महिलाओं का सबलीकरण आवश्यक है।

प्रस्तुतियों के विविध भागों के बीच पुरोगामी तथा क्रांतिकारी कविताएं तथा नगमे पेश किये गये। करीबन सत्तर साल की उम्र की भारतीय महिला फेडरेशन की एक कार्यकर्ता, वंदना ताई शिंदे ने एक गाना "ऐसा खत में लिखो!" पेश किया, जिस में एक अनपढ़ महिला दूरदेश में काम कर रहे अपने पति को चिट्ठी भेजती है, इस सवाल के स

## महिलाओं का संघर्ष, शोषण-मुक्त समाज की ओर !

**हि**न्दूस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर नयी दिल्ली में एक जोशपूर्ण सभा आयोजित की। इसमें महिलाओं और नौजवानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। “महिलाओं का संघर्ष, शोषण-मुक्त समाज की ओर!” – इस शीर्षक के तहत सभा की गयी।

सभागृह के मंच और दीवारों को महिलाओं के वर्तमान समय के अनेक संघर्षों की मुख्य मांगों के बैनरों से सजाया गया था। इनमें कुछ नारे इस प्रकार थे : “तीनों किसान-विरोधी कानूनों को रद्द करो!”, “सभी फसलों के लिए एम.एस.पी. सुनिश्चित करो!”, “हमारी रोज़गार और अधिकारों पर हमले मुर्दाबाद!”, “चारों लेबर कोड रद्द करो!”, “महिलाओं पर बढ़ती हिंसा मुर्दाबाद!”, “समान काम के लिए समान वेतन!”, “कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करो!”, “शासन-सत्ता अपने हाथ, जुल्म-अन्याय करें समाप्त!”

आज जिन तमाम मोर्चों पर महिलाएं आगे आकर संघर्ष कर रही हैं, उनको दर्शाते हुए एक फोटो प्रदर्शनी लगाई थी। दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठी किसान महिलाएं; रेलवे, टेलिकॉम, बैंकिंग, बीमा और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक कारोबारों के निजीकरण के विरोध में महिलाएं; आंगनवाड़ी और आशा मज़दूर महिलाएं अपनी मान्यता के लिए संघर्ष करती हुई; महिला डॉक्टर और नर्स बीते कई महीनों के वेतन और सुरक्षित काम की हालतों की मांग करती हुई; शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ अध्यापिकाएं; महिला बस चालक अपने तीव्र शोषण के खिलाफ; सी.ए.ए. और एन.आर.सी. का विरोध करती हुई महिलाएं; राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंक के खिलाफ संघर्ष में महिलाएं – इन सब को फोटो के माध्यम से दर्शाया गया।

सभा की शुरुआत “बढ़े चलो!” गीत के साथ हुयी, जिसमें महिलाएं कहती हैं कि हम न्याय के लिए पुलिस और कोर्ट-कचहरी पर निर्भर नहीं हो सकते, बल्कि हमें अपनी ताकत पर निर्भर होकर,



अपने शोषित भाइयों के साथ मिलाकर, अपना संगठन बनाकर आगे बढ़ना होगा।

हिन्दूस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के प्रतिनिधि ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 पर देश और दुनिया की सभी संघर्षरत महिलाओं को सलाम किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इतिहास की याद दिलाते हुए, उन्होंने बताया कि पूँजीवादी शोषण के खिलाफ और शोषण-मुक्त समाज के लिए महिलाओं के संघर्ष की परंपरा को इस अवसर पर मनाया जाता है।

उन्होंने बीते तीन महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रही लाखों-लाखों किसान बहनों को लाल सलाम का अभिवादन पेश किया। ये महिलाएं अपने किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मांग कर रही हैं कि तीनों किसान-विरोधी कानूनों को रद्द किया जाये और सभी कृषि उपज के लिए लागत के डेढ़ गुना दाम पर एम.एस.पी. की कानूनी गारंटी दी जाये। वे किसान संघर्ष को बदनाम करने और तोड़ने की कोशिशों का विरोध कर रही हैं। वे हमारे देश की शासन-सत्ता पर सवाल उठा रही हैं, जहां लोगों से सलाह किये बिना और लोगों के हितों के खिलाफ कानून बनाये जाते हैं।

आज देश में महिलाएं बहुत सारे क्षेत्रों में संघर्ष में अगुवाई कर रही हैं – सार्वजनिक

कारोबारों के निजीकरण के विरोध में संघर्ष, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष, चार लेबर कोड के ज़रिये हमारी रोज़ी-रोटी और अधिकारों पर हमलों के खिलाफ संघर्ष, रोज़ी-रोटी की सुरक्षा, न्यूनतम वेतन और काम के बेहतर हालातों के लिए आंगनवाड़ी, आशा और मिड-डे मील कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों और नर्सों व शिक्षकों के संघर्ष, समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर संघर्ष, पारिवारिक संपत्ति में बराबर के हिस्से के लिए संघर्ष, किसान महिलाओं का अपनी ज़मीन पर मालिकाना हक के लिए संघर्ष, अपने जल-जंगल-ज़मीन पर अधिकार के लिए आदिवासी महिलाओं का संघर्ष, राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा व आतंक और लोगों को बांटने के राज्य के प्रयासों के खिलाफ संघर्ष, जातिवादी दमन और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष, काम पर, घर के अन्दर और सड़कों पर यौन हिंसा के खिलाफ संघर्ष, इत्यादि।

उन्होंने समझाया कि महिलाओं के जीवन का अनुभव यह साफ-साफ दिखाता है कि हम अपनी मुक्ति के लिए वर्तमान राज्य और राजनीतिक व्यवस्था व प्रक्रिया पर निर्भर नहीं हो सकते। राज्य और उसके सारे संस्थान इजारेदार पूँजीवादी घरानों के अधिकतम मुनाफों को सुनिश्चित करने का काम करते हैं और उन्हें हमारे श्रम, ज़मीन और कुदरती

संसाधनों को लूटने की पूरी छूट देते हैं। वे महिलाओं के लिए सम्मान और सुरक्षा वाली जिन्दगी सुनिश्चित नहीं करते। जो महिला और पुरुष इस नाइसाफी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं, उन्हें “राष्ट्र-विरोधी” और “राजद्रोही” करार दिया जाता है – जैसे कि आजकल किसानों के साथ किया जा रहा है – और यू.पी.ए. जैसे काले कानूनों के तहत बंद कर दिया जाता है।

हम अधिकतम महिला और पुरुष फैसले लेने के अधिकार से पूरी तरह वंचित हैं। सत्तारूढ़ पार्टी का मंत्रीमंडल सारे फैसले लेता है। हर चुनाव में बड़े-बड़े कॉर्पोरेट घराने अपनी पसंद की पार्टी की तिजौरियों में लाखों-करोड़ों रुपये डालते हैं ताकि वह जीतकर कॉर्पोरेट घरानों के हितों की बेहतरीन तरीके से सेवा करे।

उन्होंने महिलाओं से आवान किया कि अपने इस शोषण-दमन की हालतों को बदलने के लिए हमें संगठित होना होगा। हमें अपनी संघर्ष समितियां बनानी होंगी और अपने अधिकारों व सम्मान पर हर प्रकार के हमले के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी होगी। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट संघर्ष करके ही हम कॉर्पोरेट घरानों और उनके राज्य के सब-तरफा हमलों को चुनौती दे सकते हैं।

महिलाओं की मुक्ति का रास्ता है सभी शोषितों के साथ एकता बनाकर एक ऐसी नयी राजनीतिक व्यवस्था और प्रक्रिया के लिए संघर्ष करना, जिसमें लोग फैसले ले सकेंगे। हमें चुनावों के उम्मीदवार चुनने, चुने गए प्रतिनिधियों को जगावदेह ठहराने और उन्हें वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। हमें अपने हित में कानून बनाने और उन्हें बदलने का अधिकार होना चाहिए।

उन्होंने सभी उत्पीड़ित महिलाओं और पुरुषों से आवान किया कि हिन्दूस्तान के नव-निर्माण के कार्यक्रम के इर्द-गिर्द एकजुट हो जायें। हमें एक ऐसी नयी अर्थव्यवस्था चाहिए जिसका काम होगा

**शेष पृष्ठ 7 पर**

### महिला किसानों के बीच

#### पृष्ठ 4 का शेष

में पास किए गए खेती के तीनों काले कानूनों के खिलाफ मेरी माताएं-बहनें तीन महीनों से सड़कों पर उतरी हुई हैं। इससे पहले, सी.ए.ए.-एन.आर.सी. के खिलाफ आंदोलन में महिलाओं ने अपनी ताकत दिखाई थी।

उन्होंने कहा कि सरकार दावा करती है कि हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हम एक वैश्विक ताकत बन गए हैं। लेकिन रोज़मर्झ के जीवन में, आज भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन नहीं मिलता है। भावी पीढ़ी को जन्म देने वाली महिला को गांव और शहरों में, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। वर्षमान सरकार, 44 श्रम कानूनों को 4 कानूनों में बदलकर, सबसे बड़ा हमला कामकाजी महिलाओं पर कर रही है। इन कानूनों के ज़रिए महिलाओं को रात्रि की पाली में काम करने के लिए बाध्य करने की आज़ादी मालिकों को दी गई लेकिन उन महिलाओं के सुरक्षा के अधिकार की गारंटी कौन देगा? हमारे देश में, बलात्कार की पीड़िता से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि वह खुद उसके लिए

जिम्मेदार है न कि इस अपराध को अंजाम देने वाले। आज हरेक तबके की महिलाओं का दोहरा शोषण हो रहा है।

सरकार कुछ मुट्ठीभर इजारेदार पूँजीवादी घरानों के हित के लिए काम करती है। सरकार, सिर्फ उन नीतियों को लागू करती है, जिससे इन पूँजीवादी घरानों का हित हो। वर्तमान सरकार से लेकर पूर्ववर्ती सरकारों का मक्कसद महिलाओं को न्याय, सुख-सुरक्षा देना नहीं रहा है।

हमारा संघर्ष इस व्यवस्था के खिलाफ होना चाहिए, जो महिलाओं और पुरुषों के अति शोषण पर आधारित है। हमें एक ऐसी व्यवस्था के लिए संघर्ष करना होगा, जिसमें महिलाओं और पुरुषों को मानव बतौर उनके अधिकारों की गारंटी दी जायेगी। फैसले लेने की ताकत लोगों को हाथों में हो न कि मुट्ठीभर पूँजीवादी घरानों के हाथ में। चुनने और चुने जाने तथा वापस बुलाने का अधिकार हमारे हाथों में हो।

महिला किसान नेता कुलदीप कौर कुसा ने सम्मेलन की ओर से दो संकल्प पारित किए। पहला, हम उन साहसी पत्रकर महिलाओं को सलाम करते हैं जो सरकार द्वारा लोगों पर किए जा रहे हमले की सही

तस्वीर पेश कर रही हैं। हम उन बहादुर पत्रकारों द्वारा जनता के प्रति की जा रही वफादारी पर गर्व करते हैं। हम उन बहादुर पत्रकार साथियों के साथ खड़े हैं।

दूसरा, देश की केंद्र सरकार ने लोकतांत्रिक अधिकारों के दर्जनों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया है जो जनता के लिए लिखते, बोलते और संघर्ष करते हैं। इन कार्यकर्ताओं में महिलाएं भी शामिल हैं। हम, इन्हें देशद्रोही करार दिए जाने के झूठे आरोपों को खारिज करते हैं। महिला

# निजीकरण के विरोध में कामगार एकता कमेटी ने मीटिंग की

**सा**र्वजनिक क्षेत्र को बेचने के लिए प्रस्तावों का विरोध करने के लिये 14 फरवरी, 2021 को कामगार एकता कमेटी (कैर्इसी) ने एक जनसभा आयोजित की। पूँजीपतियों द्वारा चलाये जा रहे निजीकरण के कार्यक्रम के खिलाफ मजदूर वर्ग की एकता गठित करने के प्रयास में कामगार एकता कमेटी की लगातार आयोजित की गयी मीटिंगों की शृंखला में यह 8वीं मीटिंग थी। मीटिंग में रेलवे, बीमा, बैंक, कोयला, गोदी एवं बंदरगाह, पेट्रोलियम तथा इस्पात उद्योग के सर्व हिंद एवं राज्य स्तरीय नेतागणों तथा सौ से अधिक ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता शामिल हुए।

कैर्इसी के सचिव कॉमरेड मेथ्यू ने सभी का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि गत कुछ महीनों में कैर्इसी द्वारा निजीकरण के विरोध में लगातार आयोजित की गई मीटिंगों ने सभी क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में हमारी जानकारी बढ़ाने तथा निजीकरण के खिलाफ एक विस्तृत मोर्चा बनाने की दिशा में बड़ा योगदान दिया है। अनेक क्षेत्रों के मजदूरों एवं ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं ने कैर्इसी के आहवान को उत्साही अनुकूल प्रतिक्रिया दी है। कॉमरेड मेथ्यू ने मीटिंग को संबोधित करनेवाले सर्व हिंद एवं राज्यस्तरीय ट्रेड यूनियन नेताओं का परिचय दिया। कैर्इसी की शुरुआती प्रस्तुति ने विभिन्न क्षेत्रों में निजीकरण के बजट प्रस्तावों को संक्षेप में पेश किया। उसके बाद कॉमरेड मेथ्यू ने सभी वक्ताओं से आव्यावन किया कि उनके क्षेत्र में निजीकरण के सरकार के प्रस्तावों का विरोध करने की क्या योजना है, यह वे बतायें।

कॉमरेड मेथ्यू ने पहले आल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (ए.आई.आर.एफ.) के महासचिव एवं नेशनल कॉर्डिनेशन कमेटी ऑफ रेलवेमेन्स स्ट्रगल (एन.सी.सी.आर.एस.) के सह-संयोजक कॉमरेड एम. राधवैया ने मीटिंग को संबोधित किया। जनहित विरोधी बजट का विरोध करने के लिए पहल के लिए उन्होंने कैर्इसी को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि सरकार भारतीय रेल के 109 प्रमुख मार्गों को कॉर्पोरेट घरानों को सौंपना चाहती है तथा रेलवे की उत्पादन इकाइयों का कॉर्पोरेटीकरण करने की भी सरकार की योजना है। उन्होंने इस सबके खिलाफ रेलवे मजदूर तथा उनके परिवारों को एन.सी.सी.आर.एस. के झंडे तले एकजुट करने के प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने निजीकरण के खिलाफ संघर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र एवं अर्ध-सार्वजनिक क्षेत्र के सभी मजदूरों को एकजुट होने का आहवान किया।

मिश्रा को मीटिंग को संबोधित करने के लिये आमंत्रित किया।

कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा ने चिन्हांकित किया कि अनेक मान्यता प्राप्त एवं गैर-मान्यता प्राप्त रेलवे यूनियनों को एन.सी.सी.आर.एस. के झंडे तले लाया गया है। उन्होंने बताया कि निजीकरण के खिलाफ संघर्ष को केवल रेलवे तक ही सीमित नहीं रखा जायेगा बल्कि निजीकरण के खिलाफ एक विस्तृत जन आंदोलन खड़ा करने के उद्देश्य से रेलवे पर निर्भर लोगों तक भी ले जाया जायेगा। केवल यही भारतीय रेल के निजीकरण को रोक सकता है, उन्होंने कहा।

उनके बाद नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एन.एफ.आई.आर.) के महासचिव तथा नेशनल कॉर्डिनेशन कमेटी ऑफ रेलवेमेन्स स्ट्रगल (एन.सी.सी.आर.एस.) के सह-संयोजक कॉमरेड एम. राधवैया ने मीटिंग को संबोधित किया। जनहित विरोधी बजट का विरोध करने के लिए पहल के लिए उन्होंने कैर्इसी को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि सरकार भारतीय रेल के 109 प्रमुख मार्गों को कॉर्पोरेट घरानों को सौंपना चाहती है तथा रेलवे की उत्पादन

इकाइयों का कॉर्पोरेटीकरण करने की भी सरकार की योजना है। उन्होंने इस सबके खिलाफ रेलवे मजदूर तथा उनके परिवारों को एन.सी.सी.आर.एस. के झंडे तले एकजुट करने के प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने निजीकरण के खिलाफ संघर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र एवं अर्ध-सार्वजनिक क्षेत्र के सभी मजदूरों को एकजुट होने का आहवान किया।

उनके बाद आल इंडिया इन्स्योरेन्स इम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के महासचिव कॉमरेड श्रीकांत मिश्रा ने मीटिंग को संबोधित किया। निजीकरण करने की सरकार की ख़तरनाक नीतियों के खिलाफ लोगों की एकता बनाने की पहलकदमी के

लिये कैर्इसी को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि इन नीतियों को "आत्मनिर्भर भारत!" के नाम पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। बीमा क्षेत्र में निजीकरण करने के सरकार तीन प्रस्तावों के बारे में उन्होंने विस्तार से समझाया — बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करना, एक जनरल इन्स्योरेन्स कंपनी का निजीकरण करना एवं एल.आई.सी. के शेयर खुले बाजार में बेचना। तीनों का विरोध करना ज़रूरी है।

उन्होंने बताया कि एकजुट संघर्ष द्वारा बीमा क्षेत्र के मजदूर जनरल इन्स्योरेन्स कंपनियों का निजीकरण 25 वर्ष तक रोक पाये हैं। पहला निजीकरण का प्रस्ताव जब मल्होत्रा कमेटी ने रखा तब ऑल इंडिया इन्स्योरेन्स इम्प्लॉइज़ एसोसिएशन ने उसके विरोध में 1.5 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर इकट्ठे किये थे जो ट्रेड यूनियन के इतिहास में विश्व कीर्तिमान था। एक शक्तिशाली संघर्ष छेड़ने के लिए बीमा तथा बैंकिंग क्षेत्र की ट्रेड यूनियनों को एकजुट करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया।

उनके बाद महाराष्ट्र स्टेट बैंक इम्प्लॉइज़ फेडरेशन के महासचिव एवं आल इंडिया बैंक इम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के संयुक्त सचिव कॉमरेड देविदास तुलजापुरकर ने बात रखी। आई.डी.बी.आई. एवं सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों का निजीकरण करने के बजट प्रस्ताव की उन्होंने भर्त्सना की। निजीकरण के खिलाफ संघर्ष को और तीव्र करने के लिये बैंकिंग क्षेत्र की ट्रेड यूनियनों ने जो कार्यक्रम तय किया है उसे उन्होंने घोषित किया — 19 फरवरी को सभी राज्यों की राजधानी में प्रदर्शन, अगले 15–20 दिनों में सभी जिलों में हड्डताल, विधानसभा, लोकसभा, जिला परिषद एवं महानगरपालिका सदस्यों आदि सभी से संघर्ष की हिमायत करने की अपील,

इसके साथ—साथ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 15 एवं 16 मार्च को हड्डताल का ऐलान किया है जिसमें 9 लाख बैंक कर्मचारी शामिल होंगे।

कॉमरेड तुलजापुरकर ने विश्वास जताया कि बैंकों के ग्राहक एवं आम लोगों को इस संघर्ष में शामिल करने में वे निश्चित ही कामयाब होंगे। कई निजी बैंक जो दिवालिया हुये हैं उनके उदाहरण देकर लोगों को वे समझायेंगे कि निजीकरण करने से लोगों का पैसा खतरे में पड़ेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लोगों का 70 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बचत जमा है। अगर लोगों की मैहनत से जमा की गई यह पूँजी सुरक्षित रखनी है तो हमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बचाना होगा। हमारे आंदोलन ने यह नारा दिया है कि "लोगों का पैसा, लोगों की खुशहाली के लिये!" उन्होंने बताया कि उन्होंने पोस्टर बनाये हैं, उनका प्रदर्शन किया है तथा ग्राहकों के बीच पर्चे वितरित किये हैं।

बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों की ओर से जनरल इन्स्योरेन्स इम्प्लॉइज़ आल इंडिया एसोसिएशन (जी.आई.ई.ए.आई.ए.) के महासचिव कॉमरेड के गोविंदन ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि रणनीतिक विनिवेश के नाम से सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों को बेचना और उनका प्रबंधन निजी मालिकों को सौंपना चाहती है। संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिये बीमा क्षेत्र के सभी कर्मचारी 24 फरवरी को 2 घंटे काम बंद रखेंगे। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को निवेदन देने तथा आम लोगों के बीच पर्चे वितरित करने की उनकी योजना है। बैंक, एल.आई.सी. एवं जनरल इन्स्योरेन्स के मजदूरों का एक फोरम बनाने का काम भी शुरू हुआ है, ऐसा उन्होंने बताया।

शेष पृष्ठ 7 पर

## असम के चाय बागानों के मजदूरों के लिए जूठे चुनावी वादे

**हि**न्दोस्तान में चुनाव का मौसम एक ऐसा समय होता है, जब चुनाव में उत्तरी राजनीतिक पार्टियां लोगों को बेकूफ बनाने के लिए हर एक तरह के फरेब का इस्तेमाल करती हैं। असम में हो रहे विधानसभा के चुनावों में यह साफ नज़र आ रहा है, जहां चाय बागान के मजदूरों को मिलने वाला वेतन चुनावी मुद्दा बन गया है और हर एक पार्टी इसे बढ़ाने का एक से बढ़कर एक वादा किये जा रही है।

भाजपा ने 2016 के चुनावों के समय वादा किया था कि यदि वह चुनाव जीतती है, तो न्यूनतम वेतन को 351 रुपये प्रतिदिन तक बढ़ा देगी। लेकिन चुनाव जीतने और सत्ता में आने के बाद वह अपने वादे से मुकर गयी। 19 मार्च, 2021 को राहुल गांधी ने वादा किया कि यदि उनकी पार्टी चुनकर सत्ता में आती है तो वह राज्य में चाय बागान मजदूरों के न्यूनतम वेतन को 365 रुपये प्रतिदिन कर देगी। आगे उन्होंने वादा किया कि चाय बागान के मजदूरों की समस्याओं को हल करने के लिए वह एक विशेष मंत्रालय का गठन करेगी।

लेकिन राज्य के चाय बागान के मजदूरों के अनुभव ने उनको सिखाया है कि चुनावों में वादे केवल तोड़ने के लिए किये जाते हैं। ये वादे केवल लोगों को फफ्सलाने के लिए किये जाते हैं और उन्हें पूरा करने का कोई इरादा

नहीं होता है। चाय बागान के मजदूर बेहद कम वेतन पर अमानवीय हालातों में जीने के लिए मजबूर हैं। रोजमरा की चीजों पर खर्च करने के बाद अपने बच्चों की शिक्षा या किसी अन्य ज़रूरी खर्चों के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचता। असम के चाय बागान के मजदूरों को 167 रुपये प्रतिदिन के लिये बेहद कम मजद

# किसानों ने अपने संघर्ष को तेज़ किया

**कि**सान आंदोलन, कई राज्यों में, यात्राओं और महापंचायतों के रूप में कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। हर जगह पर उसे मेहनतकश लोगों के सभी वर्गों के बीच दिन पर दिन बढ़ता समर्थन हासिल हो रहा है।

देश के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों ने, शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, और शहीद राजगुरु के शहादत दिवस, को जोर-शोर से मनाने के लिए कई कार्यक्रमों की घोषणा की है। 23 मार्च को जिला और तहसील स्तर पर, हर जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली की सीमाओं पर अपने विरोध प्रदर्शन के चार महीने पूरे होने के अवसर पर वह 26 मार्च को भारत बंद का आयोजन करने की तैयारी कर रहे हैं। 28 मार्च को होली के अवसर पर, किसान संगठनों ने घोषणा की है कि वे देश भर में तीन किसान-विरोधी कानूनों की प्रतियां जलाएंगे।

किसान संगठनों ने, 18 से 23 मार्च के बीच, “शहीद यादगार किसान पदयात्रा” आयोजित करने की घोषणा की है। ये विरोध-प्रदर्शन पदयात्रा, हरियाणा, उत्तर

प्रदेश और पंजाब के विभिन्न स्थानों से शुरू होकर दिल्ली की सीमाओं पर समाप्त होगी। वह सभी दिल्ली की सीमाओं पर शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु की शहादत की 90वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित शहीदी दिवस समारोह में शामिल होंगे। एक पदयात्रा 18 मार्च को हरियाणा के हिसार में लाल सड़क हांसी से शुरू होगी और टिकरी बॉर्डर तक पहुंचेगी।

एक अन्य पदयात्रा पंजाब के खट्टर कलां गांव से शुरू होगी और सिंधु बॉर्डर तक पहुंचने से पहले पानीपत से गुजरेगी और तीसरी पदयात्रा मथुरा में शुरू होगी और पलवल की ओर जाएगी।

25 मार्च को पंजाब से किसान और युवाओं की एकता रैली शुरू होगी, जिसका समापन टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर होगा। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रेक्टर रैली के दौरान शहीद हुए युवा किसान नवप्रीत सिंह की शहादत की याद में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। शहीद के दादा, बसंत हरदीप सिंह डिवडिबा के नाम पर इस एकता रैली की अपील जारी की गई है। यह रैली मोगा से शुरू होगी।

और लुधियाना, दोराहा, खन्ना, गोविंदगढ़, सरहिंद, राजपुरा, शंभू अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत से गुजरते हुए दिल्ली की सीमा पर पहुंचेगी। रैली का उद्देश्य किसान एकता को मजबूत करना है, और किसान-विरोधी कानूनों को रद्द करने के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाना है।

26 मार्च को सम्पूर्ण भारत बंद के लिए पूरे देशभर में तैयारियां चल रही हैं। यह बंद गांव, तहसील, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस देशव्यापी बंद के आवाहन को ट्रेड यूनियनों, व्यापारियों और तीसरी पदयात्रा मथुरा में शुरू होगी और पलवल की ओर जाएगी।

कई किसान संगठनों ने विरोध स्थलों पर हजारों लोगों को ऐसे समय में इकट्ठा करने का निश्चय किया है जब किसान, गेहूं की फसल की कटाई की तैयारी कर रहे होंगे।

इससे पहले 15 मार्च को किसान यात्रा ओडिशा के गजपति जिले के काशीपुर में

पहुंची। यह यात्रा किसान और स्थानीय

लोगों के समर्थन से मजबूत होती जा रही है और यात्रा के दौरान रास्तों पर कई छोटी सभाएं आयोजित की जा रही हैं। बिहार में, राज्य के सभी 35 जिलों को घेरते हुए ऐसी सात यात्राएं पटना लौट आयी। यह सात यात्राएं 2000 से अधिक गांवों को गुजरी और इस दौरान 300 से अधिक सभाएं आयोजित की गयी।

18 मार्च को मध्य प्रदेश के संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आयोजित, किसानों ने अपनी मांगों को उठाते हुए मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। इसे जिला और तहसील स्तर पर आयोजित किया गया। उन्होंने मध्य प्रदेश में किसानों और कृषि-श्रमिक संघ, ट्रांसपोर्टर संघ, शिक्षक संघ, युवा और छात्र संघ भी शामिल हैं।

<http://hindi.cgpi.org/20626>

## निजीकरण के विरोध में मीटिंग

### पृष्ठ 6 का शेष

विशाखापट्टनम पोर्ट इम्प्लॉइज़ यूनियन के महासचिव तथा आल इंडिया पोर्ट एंड डॉक वर्कर फेडरेशन के महासचिव कॉमरेड डी.के. सर्मा ने पोर्ट और डॉक मज़दूरों के संघर्ष के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि विदेशी मुद्रा कमाने में बंदरगाहों की महत्वपूर्ण भूमिका है मगर पी.पी.पी. परियोजना के ज़रिये सरकार सभी मुख्य बंदरगाहों को बहुदेशीय एवं बड़ी हिन्दोस्तानी कंपनियों को सौंपना चाहती है। विदेशी कंपनियों से सलाह—मशविरा करके सरकार ने पोर्ट ऑफोरिटी बिल (2021) बनाया है। हाल ही में उसे राज्य सभा में पारित किया गया। गत 15 वर्षों से मज़दूर लगातार निजीकरण की विरोध कर रहे हैं लेकिन उसे नज़रांदाज किया गया है।

कोयला मज़दूर सभा के महासचिव एवं हिंद खदान मज़दूर फेडरेशन के अध्यक्ष कॉमरेड नाथूलाल पांडे ने कईसी को धन्यवाद दिया क्योंकि वह निजीकरण के खिलाफ एकजुट बनाने में बहुत मेहनत कर रहा है। निजीकरण के खिलाफ कोयला मज़दूरों के संघर्ष को उन्होंने उजागर किया। रेलवे के बाद कोल इंडिया में सबसे बड़ी संख्या में मज़दूर हुआ करते थे मगर अब बड़ी तादाद में स्थाई मज़दूरों की जगह पर ठेका मज़दूर रखे जाते हैं जिनका बेहद ज्यादा शोषण होता है।

उन्होंने घोषणा की कि 2 जुलाई, 2021 से 4 जुलाई, 2021 के दौरान देशभर के कोयला मज़दूर हड्डताल करके कोयला क्षेत्र का निजीकरण करने की सरकार की नीति को चुनौती देंगे।

दिल्ली की सीमापर ठिठुरती ठंड में संघर्ष कर रहे किसानों की सभी मांगों का समर्थन करने का उन्होंने आवाहन किया। सभी क्षेत्रों की सभी ट्रेड यूनियनों को एक साथ 3-4 दिन की हड्डताल करके निजीकरण का विरोध करना चाहिये, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव दिया। तभी मोदी सरकार पर दबाव आएगा और वो सुनेगी। जब लोहा गरम है तभी एकजुट होकर हथौड़ा

चलाना चाहिये और हमें कंधे से कच्चा मिलाकर एक दूसरे का साथ देना चाहिये, ऐसा उन्होंने आवाहन किया।

पेट्रोलियम तथा गैस क्षेत्र के निजीकरण का विरोध करते हुए, कोचीन रीफाईनरी वर्कर एसोसिएशन (सी.आई.टी.यू.) के महासचिव तथा पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड एम.जी. आगी ने बताया कि बजट के अनुसार 2021-22 में बी.पी.सी.एल. का विनिवेश होगा। उसका विरोध प्रकट करने के लिये जब मोदी ने कोचीन रीफाईनरी के एक नये प्लांट का उद्घाटन किया तब मज़दूरों ने उसका बहिष्कार किया।

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष जब सभी राजस्व के कर संग्रह में कमी हुई तब एकमात्र कर जो ज्यादा जमा हुआ वह था पेट्रोलियम उत्पाद पर उत्पाद शुल्क का संग्रह। 2.6 लाख करोड़ रुपये के बजट के अंदाज़ से कहीं ज्यादा 3.65 लाख करोड़ रुपये होने का अंदाज किया गया है। इसका मतलब आम आदमी से सरकार अधिक कर वसूल रही है।

सभी क्षेत्रों के मज़दूरों को एकजुट करने का जो प्रयास कईसी लगातार बड़ी लगान से कर रही है, उन्होंने उसकी सराहना की। सरकार के निजीकरण के कार्यक्रम को रोकने के लिये, अपने किसान भाइयों से सीखकर सभी सार्वजनिक क्षेत्र के मज़दूरों को एक साथ संघर्ष करने का आह्वान उन्होंने किया।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) स्टील प्लांट इम्प्लॉइज़ यूनियन (सी.आई.टी.यू.) के माननीय अध्यक्ष कॉमरेड नरसिंह राव ने इस्पात मज़दूरों की तरफ से संबोधित किया। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड “घाटे में है” ऐसा बताकर सरकार उसकी रणनीतिक बिक्री करने की कोशिश कर रही है। मगर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड कभी घाटे में नहीं रहा है ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया। खुद ही के साधन एवं वित्त संस्थानों से खुद ही कर्ज लेकर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने अपनी उत्पादन क्षमता सालाना 73 लाख मिट्रिक टन तक बढ़ाई है।

वाईजैग स्टील प्लांट बहुत अच्छी गुणवत्ता के इस्पात का उत्पादन करता

है जिसकी बाज़ार में बहुत अच्छी मांग भी है। अपने देश में समुद्री तट पर स्थित वह एकमात्र स्टील प्लांट है। यह केंद्र तथा राज्य सरकार को अब तक 44 हजार करोड़ रुपये कर तथा डिविडेंड के रूप में दे चुका है।

निजीकरण के खिलाफ सभी ट्रेड यूनियनों का एकजुट होने एवं आम लोगों के सक्रिय समर्थन का महत्व समझाने के लिये उन्होंने विशाखापट्टनम के ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का उदाहरण दिया। मज़दूर एवं आम लोगों के सांझा संघर्ष की वजह उसका निजीकरण करने की सरकार की योजना को सफलतापूर्वक रोका गया है। इस अनुभव से सीखकर वाईजैग स्टील प्लांट के मज़दूरों ने 5 लाख से ज्यादा पर्चे आम लोगों के बीच बांटे जिसकी वजह से निजीकरण के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन में लाखों आम लोग भी शामिल हुए। उन्होंने घोषित किया कि 18 फरवरी को एक बड़ी आम सभा होगी एवं 5 मार्च को मोटर साईकिल रैली निकाली जायेगी। किसान संघर्ष से प्रेरित

### महिलाओं का संघर्ष...

### पृष्ठ 5 का शेष

लोगों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना। हमें एक ऐसी नयी राजनीतिक व्यवस्था चाहिए जिसमें लोग फैसले लेंगे।

भाषण के बाद कई नौजवान कार्यकर्ताओं ने बारी-बारी से मंच पर आकर अपनी बातें रखीं। उन्होंने बताया कि अधिकारी जन-विरोधी है

To .....  
.....  
.....  
.....  
.....

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2018-20  
LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT. U (SE)-38/2018-20  
Posting Date at NDPSO, 1 & 2 Mar, 2021 Date of publish - 31 Mar, 2021

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मध्यसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई-392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइज़, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक—मध्यसूदन कस्तूरी, ई-392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नई दिल्ली 110020 | email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911 अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें : ई-392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नई दिल्ली 110020



WhatsApp  
09868811998

## बैंकों के कर्मचारियों द्वारा निजीकरण के खिलाफ किये जा रहे संघर्ष का विभिन्न क्षेत्रों के मज़दूरों ने समर्थन किया

सेवा में,  
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स,

हम, अधोहस्ताक्षरित विभिन्न क्षेत्रों के मज़दूरों की यूनियनें, एसोसियेशनें और यूनियनों की फेडरेशनें तथा जन-संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ आपके न्यायपूर्ण संघर्ष को अपना पूरा समर्थन देते हैं। 15 और 16 मार्च, 2021 को प्रस्तावित आपके अधिकल भारतीय हड्डताल की पूर्ण सफलता की हम कामना करते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण मज़दूर-विरोधी, जन-विरोधी और समाज-विरोधी कदम है।

हम मज़दूरों ने बार-बार पाया है कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के निजीकरण से सैकड़ों मज़दूर अपनी नौकरियां खो देते हैं। निजीकरण के बाद ज्यादा से ज्यादा संख्या में मज़दूरों को ठेके पर रखा जाता है; इन मज़दूरों को नियमित मज़दूरों के मुकाबले में एक तिहाई से एक चौथाई कम वेतन पर काम कराया जाता है। निजीकरण के बाद, स्थायी और ठेका मज़दूरों, दोनों से ओवरटाइम का पैसा दिये बिना लंबे समय तक काम कराया जाता है। नए पूंजीवादी मालिकों द्वारा मौजूदा यूनियनों को नष्ट किया जाता है और नए मज़दूरों को खुद को संगठित करने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस प्रकार, निजीकरण का मज़दूर-विरोधी कदम पूरे मज़दूर वर्ग को कमज़ोर करता है।

**जनरल इंडियोरेंस के कर्मचारियों द्वारा निजीकरण के खिलाफ किये जा रहे संघर्ष का विभिन्न क्षेत्रों के मज़दूरों ने समर्थन किया**

<http://hindi.cgpi.org/20607>

**जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा निजीकरण के खिलाफ किये जा रहे संघर्ष का विभिन्न क्षेत्रों के मज़दूरों ने समर्थन किया**

<http://hindi.cgpi.org/20609>

बैंकों में जमा बचत की सुरक्षा, देश के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। निजी बैंकों जैसे इंडसइंड बैंक, पीएमसी बैंक आदि के साथ हाल में हुई समस्याओं ने पूरी तरह से लाभ-संचालित निजी बैंकों के बारे में गंभीर विंताएं पैदा की हैं। दो बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रस्तावित निजीकरण पूरी तरह से लोगों के हितों के खिलाफ है।

निजीकरण समाज-विरोधी भी है। अब बैंक सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि केवल निजी लाभ अर्जित करने के लिए चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में निजी बैंकों के प्रवेश करने के बाद, बैंकिंग सेवाएं बहुत अधिक महंगी हो गई हैं। बहुत से लोग जल्द ही इन सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

दशकों से सार्वजनिक धन का उपयोग करके और लाखों मज़दूरों के श्रम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बनाए गए हैं। ये लोगों की संपत्ति हैं और इनका उपयोग मज़दूरों और अन्य सभी मेहनतकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करने और उनके कल्याण के लिए किया जाना चाहिए।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के साथ, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों पर एक युद्ध की घोषणा की है और हिन्दूस्तानी लोगों के धन से निर्मित कीमती संपत्ति को हिन्दूस्तानी और विदेशी, दोनों इजारेदारों को इसे सौंप देना चाहती है। हम सभी के केवल एकजुट संघर्ष ही हैं जो सरकार को रोक सकते हैं। साथ ही हम सभी को हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के निजीकरण की नीतियों के खिलाफ हमारी लड़ाई में उपभोक्ताओं को शामिल होने के लिए एकजुट करना होगा। यह काम बैंक मज़दूर बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। मज़दूरों, किसानों और मेहनतकर्ता लोगों का एकजुट मोर्चा हम सभी के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है।

हम बैंकों के निजीकरण के दुष्प्रभावों के बारे में बैंकिंग सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के आपके प्रयासों की सहायता करते हैं। हम भी अपने सदस्यों, उनके परिवारों और लोगों के बीच आपके जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि वे सभी बैंकों के ग्राहक

हैं। हम आपके नारे का समर्थन करते हैं कि "लोगों का धन, लोगों की खुशहाली के लिए" और हम आपके संघर्षों के साथ पूर्णतः एकजुट हैं।

एक पर हमला सब पर हमला है!!

**आपके साथ एकजुटता में,**

1. एयर इंडिया सर्विस इंजीनियर्स एसोसिएशन
2. ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन
3. ऑल इंडिया डिफेन्स इम्प्लॉईज़ फेडरेशन
4. ऑल इंडिया गार्डर्स काउन्सिल
5. ऑल इंडिया इन्डियारेंस इम्प्लॉईज़ एसोसिएशन
6. ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन
7. ऑल इंडिया पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स फेडरेशन
8. ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन
9. ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन
10. ऑल इंडिया रेलवे इम्प्लॉईज़ कॉनफेडरेशन
11. ऑल इंडिया रेल ट्रैकमेनेजर्स यूनियन
12. ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन
13. ऑल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर्स एसोसिएशन
14. कोवीन रिफायनरी इम्प्लॉईज़ एसोसिएशन
15. जनरल इन्डियारेंस इम्प्लॉईज़ ऑल इंडिया एसोसिएशन
16. हिंद खदान मज़दूर फेडरेशन
17. इंडियन रेलवे लोको रनिंग मेन ऑर्गनाइजेशन
18. इंडिया रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गनाइजेशन
19. कामगार एकता कमेटी
20. लड़ाकू गारमेंट मज़दूर संघ
21. नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेन
22. पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया
23. पोर्ट, डॉक एंड वाटरफ्रंट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया
24. स्टील प्लांट इम्प्लॉईज़ यूनियन – राष्ट्रीय इस्पात निगम द्वारा मर्यादित
25. वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया

<http://hindi.cgpi.org/20609>

## बैंक कर्मचारियों की दो दिवसीय हड्डताल

**रा**वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण की घोषणा के विरोध में लाखों बैंक कर्मचारी 15–16 मार्च को हड्डताल पर चले गए। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (यू.एफ.बी.यू.) द्वारा देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की नौ यूनियनों के संयुक्त संगठन द्वारा दिए गए आहवान पर देश भर में 10 लाख से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों ने भाग लिया। हड्डताल के दूसरे दिन हजारों की संख्या में हड्डताली कर्मचारियों ने राष्ट्रीय राजधानी में जंतर-मंतर पर धरना दिया।

यू.एफ.बी.यू. के सदस्य संगठनों में ऑल इंडिया बैंक इम्प्लॉईज़ एसोसिएशन (ए.आई.बी.ई.ए.), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (ए.आई.बी.ओ.सी.), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक इम्प्लॉईज़ (एन.सी.बी.ई.), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (ए.आई.बी.ओ.ए.) और बैंक एंप्लॉयीज ऑफ इंडिया (बी.ई.एफ.आई.) शामिल हैं। नेशनल बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन (आई.एन.बी.ई.एफ.), इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस (आई.एन.बी.ओ.सी.), नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक



वर्कर्स (एन.ओ.बी.डब्ल्यू.) और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स (एन.ओ.बी.ओ.) व अन्य संगठन भी शामिल हैं।

इस हड्डताल ने देश भर में बैंकिंग सेवाओं को ठप्प कर दिया, जिससे अधिकांश बैंक शाखाएं बंद रहीं। इससे नकद निकासी, जमा करना, चेक भुगतान जैसी सेवाएं प्रभावित हुईं।

राजस्थान से पश्चिम बंगाल, और पंजाब से तमिलनाडु तक, प्रदर्शनकारी बैंक कर्मचारियों ने बैंकों के निजीकरण की घोषणा के खिलाफ नारे लगाए। हड्डताल के दौरान लगाए गए तीन मुख्य नारे थे, "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बचाओ", "सामाजिक बैंकिंग को बरकरार रखो" और "लोगों की बचत को सुरक्षित रखो"।

देश के अन्य बड़े और छोटे शहरों – अगरतला, चंडीगढ़, आगरा, मदुरई, चेन्नई, मुजफ्फरपुर, गया, भुवनेश्वर, सिलचर, रोहतक, पटना आदि के बैंक कर्मचारियों ने भी हड्डताल में हिस्सा लिया और नारे लगाए।

<http://hindi.cgpi.org/20621>